CMS- 2025/346

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

राज्य बनाम U.I.T

किस्म मुकदमा LR Act - 136 नं. 57 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धांरा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 8/7/25 को पेश हो। 7/7/25	
8/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश क्रमांक प.2( ) राजस्व/2025/3112 दिनांक 03.07.2025 की पालना में प्रार्थीया सुनीता सुवालका व मनशिखा सुवालका के पक्ष में विक्रित भूमि 103 बीघा में से 03 बीघा भूमि अधिग्रहण योग्य पायी गई है। जिस पर स्थगन आदेश का अंकन किया जाना है। पूर्व महाराव कोटा श्री भीमसिंह के सिलिंग प्रकरण से प्रभावित भूमियों में से प्रार्थीया सुनिता सुवालका व मनशिखा सुवालका को विक्रित 103 बीघा में से 100 बीघा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। जबकि 03 बीघा भूमि ही अधिग्रहण योग्य है। पूर्व की रिपोर्टस के अनुसार उक्त 03 बीघा भूमि खसरा नं0 527 वाके ग्राम तेखड़ा चिन्हित की गई थी। जो वर्तमान में खसरा नं0 983/527 में सम्मिलित है। चूकि खसरा नं0 983/527 का रकबा 1.4880 है0 है। जबकि 03 बीघा भूमि अर्थात 0.48 है0 पर ही स्थगन नोट अंकित किया जाना है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि खसरा नं0 983/527 में से 0.48 है0 रकबे का अलग खसरा जर्ये विभाजन अलग करने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि वर्णित आदेशो/प्रदत्त निर्देशो की पालना की जा सकें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि पूर्व महाराव कोटा श्री भीमसिंह के सिलिंग प्रकरण से प्रभावित भूमियों में से प्रार्थीया सुनिता सुवालका व मनशिखा सुवालका को विक्रित 103 बीघा में से 100 बीघा भूमि अधिग्रहंण से प्रभावित नहीं है। जबकि 03 बीघा भूमि ही अधिग्रहण योग्य है। पूर्व की रिपोर्टस के अनुसार उक्त 03 बीघा भूमि खसरा नं0 527 वाके ग्राम तेखड़ा चिन्हित की गई थी। जो वर्तमान में खसरा नं0 983/527 में सम्मिलित है। चूकि खसरा नं0 983/527 का रकबा 1.4880 है0 है। जबकि 03 बीघा भूमि अर्थात 0.48 है0 पर ही स्थगन नोट अंकित किया जाना है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि खसरा नं0 983/527 में से 0.48 है0 रकबे का अलग खसरा जर्ये विभाजन अलग करने की स्वीकृति प्रदान करें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में 3 बीघा भूमि पर स्थगन का नोट अंकित किया जाना है लेकिन कुल रकबा 1.48 है0 है अतः हमारे मत में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा अनुसार 0.48 है0 का नया खसरा नं0 बनाया जाना न्योयचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम तेखड़ा के खसरा नं0 983/527 रकबा 1.4880 है0 में से संलग्न नक्शे के अनुसार रकबा 0.48 है0 का पृथक खसरा नं0 राजस्व	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रिकोर्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 08/07/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 08/07/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा